E-Tender Detailes – Creation * Mandatory field

Tender level Details			
Tender No :*	-	Tender Creation Date and Time:*	-
NIT No:*	2273/15.06.2019	Tile:*	Tender Notification
Notice Invited for:*	Tender	Stage:*	
Tender call:*	I[st]	Currency:*	Indian Rupee
Email:*	-	Division/Basin:*	-
District:*	Jabalpur	Vendor Class:*	-
Tender Category:*	Services	Tender Sub category:*	-
Period of Completion (In months) :*	-	Tender Type:*	-
Form Of Contract:*	General	SOR:*	-
Name of Work:*	Transportation of SMP from Indore Bhopal Gwalior ujjain sihor dewas to Jabalpur	Work No. :*	1
Tender Fee Details			
Probable Amount of:* Contract (PAC) in:*	0	EMD in:*	25,000.00
Cost of document in:*	1,000/-	Processing Fee in:*	-
Important Dates			
Purchase of Tender Start date:*	17/06/2019 11:00 AM	Pre bid meeting Date and Time:*	-
Purchase of Tender End Date:*	08/07/2019 12:00 PM	Bid Submission End Date:*	08/07/2019 04:00 PM -

Tender Open Date:*	09/07/2019 4:00 PM	-	-

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
करौदा नाला, इमलिया कटनी रोड जबलपुर (म.प्र.)

–:: निविदा प्रपत्र ::– फार्म "A"

1. निविदा कार्य :– दुग्ध चूर्ण परिवहन ।
2. दुग्ध चूर्ण, भोपाल, इंदौर, देवास, ग्वालियर एवं उज्जैन दुग्ध संघ से मुख्य संयंत्र जबलपुर भंडार तक दुग्ध चूर्ण परिवहन करना।
3. निविदाकार का नाम :– ....
   ....।
4. निविदा प्रपत्र का मूल्य :– रूपये एक हजार मात्र नगद (1000/– रू. नगद)
5. निविदा क्रय करने की दिनांक :– निविदा प्रकाशन से दिनांक 08.07.19 दोपहर 12:00 बजे तक क्रय की जा सकती है।
6. निविदा जमा करने की अन्तिम दिनांक एवं समय :– दिनांक 08.07.19 दोपहर 4:00 बजे तक।
7. निविदा खुलने का दिनांक एवं समय :– 09.07.19 दोपहर 4:00 बजे से।
8. व्यवहार हेतु पता :– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर– 482004
9. किसी भी फर्म द्वारा एक से अधिक निविदा जमा करना मान्य नहीं है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,जबलपुर।

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या.

जबलपुर

महोदय,

आपके द्वारा जारी की गई निविदा सूचना दिनांक 15.06.2019 के संदर्भ में मैं /हम दुग्ध चूर्ण परिवहन दर प्रस्तुत कर रहे हैं एवं जिसके नियम एवं शर्ते भलिभॅाति पढ़ एवं समझ ली है एवं हम इसके पालन हेतु बाध्य है।

क्र.	गंतव्य स्थल विवरण	छर प्रति मी.टन लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित		
			जबलपुर संयत्र हेतु	छिंदवाड़ा संयत्र हेतु
	इंदौर दुग्ध संघ /गंतव्य स्थल से	अंको में शब्दो में	रु...........................	रु...........................
	उज्जैन दुग्ध संघ /गंतव्य स्थल से	अंको में शब्दो में	रु...........................	रु...........................
	भोपाल दुग्ध संघ /गंतव्य स्थल से	अंको में शब्दो में	रु...........................	रु...........................
	ग्वालियर दुग्ध संघ /गंतव्य स्थल से	अंको में शब्दो में	रु...........................	रु...........................
	देवास /गंतव्य स्थल से	अंको में शब्दो में	रु...........................	रु...........................
	सिहोर/गंतव्य स्थल से	अंको में शब्दो में	रु...........................	रु...........................

๑२ निविदा प्रस्तुति सम्बन्धी सामान्य नियम ๒๑

1. जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या,इंदौर ,देवास, सिहोर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर दुग्ध संघ भोपाल/मंडी दीप भोपाल से दुग्ध चूर्ण लोड किया जाकर मुख्य संयंत्र जबलपुर भंडार तक परिवहन किया जाना है अतः निविदायें आमंत्रित की जाती है, जिसकी शर्ते निम्नानुसार है :–

(1) निविदा के साथ EMD रू. 25,000/- ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जावे बिना EMD जमा के प्रस्ताव को निरस्त माना जावेगा।

(2) निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के लिये एकांकी स्वामी/व्यापार संस्था सोल प्रोप्रायटर कंर्सन संयुक्त हिन्दु परिवार अथवा भागीदार कार्य/पार्टनरशिप फर्म म.प्र. सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति/भार संस्थापित समिति/प्रायवेट लिमिटेड कम्पनी हो सकती है। वाहन के कागजात प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा भाव पत्र नहीं खोला जावेगा तथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी। वाहन उपलब्धता के आधार पर निविदा एक या एक से अधिक वाहनों हेतु दी जा सकती है।

(3) यदि उपरोक्त तिथि को किन्ही आंकस्मिक कारण से मुख्य कार्यपालन अधिकारी के कार्यालय जहां की निविदायें खोली जाना है। अवकाश घोषित कर दिया जाता है तो निविदायें अवकाश की तिथि के बाद आने वाले कार्य दिवस को खोली जावेगी।

(4) निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर दुग्ध चूर्ण एवं शक्कर हेतु पृथक–पृथक रू. 1000/- के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वच्छ प्रतियों मे अनुबंध टंकण कराकर मूल अनुबंध कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा, एवं निर्धारित सुरक्षा राशि रू. 2.50 लाख जमा करनी होगी। सुरक्षा राशि के विरूद्ध प्रतिभूति निधि की राशि रू. 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का समायोजन किया जा सकेगा। सुरक्षा जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(5) निविदाकार की निविदा स्वीकृत होने पर उसे वाहन के साथ चलने वाले चालक–परिचालक की व्यक्तिगत जानकारी, ड्रायविंग लाईसेंस, मोबाईल नम्बर, पासपोर्ट साईज फोटो संघ कार्यालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वाहन चालक को बिना उचित कारण पृथक नहीं किया जाएगा, यदि वाहन चालक को हटाना आवश्यक है तो संघ से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

(6) निविदा स्वीकृत होने, कार्य प्रारंभ करने के दौरान यदि अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन करने पर हुई हानि की वसूली प्रथमतः उनके देयक/प्रतिभूति राशि से की जाएगी। शेष बचने पर कानूनी प्रक्रिया से वसूल की जावेगी। ठेकेदार को हटाया जा सकेगा।

(7) परिवहन ठेकेदार आगे कार्य करना नही चाहता है तो लिखित मे एक माह की अग्रिम सूचना देकर संघ की आगामी व्यवस्था उपरांत परिवहन कार्य छोडने हेतु स्वतंत्र रहेगा। दुग्ध संघ द्वारा भी एक माह की सूचना देकर बगैर किसी कारण बताए कार्य पृथक किया जा सकेगा।

(8) स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता अनुसार दुग्ध संघ की मांग पर जो मौखिक होगी, वाहन समय पर उपलब्ध करवाना होगा। अन्यथा प्रबंधन द्वारा बाजार से किसी भी दर पर अन्य वाहन उपलब्ध कर माल पहुंचाया जावेगा तथा उसके दर की अन्तर की राशि परिवहनकर्ता के देयक/सुरक्षा निधि से वसूली जावेगी।

(9) निविदाकार अपने वाहन के ईंधन, डीज़ल व अन्य सभी खर्च के लिये स्वयं उत्तरदायी होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। टोल टेक्स का भुगतान परिवहनकर्ता को पृथक देय नहीं होगा।

(10) दुग्ध संघ द्वारा दूरिया सत्यापित की गई है या की जावेगी जो मुख्य संयंत्र से गंत्वय तक आने एवं जाने की (दोनों ओर) होगी जिसके आधार पर ही परिवहन देयक का भुगतान किया जावेगा।

(11) निर्देशानुसार वाहन पर साँची की पेंटिंग निर्धारित डिज़ाईन अनुसार, सूचित समयावधि में परिवहनकर्ता द्वारा करवानी होगी।

(12) निविदा स्वीकृत करना मुख्य कार्यपालन अधिकारी, के स्वविवेक पर निर्भर होगा तथा न्यूनतम दर की निविदा स्वीकार न करने अथवा किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(13) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा की स्वीकृति ही निविदाकार एवं जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ जबलपुर के बीच अनुबंध का गठन माना जावेगा एवं दोनों पक्षों के इकरारनामें के संपादन की आवश्यकता अनिवार्य होगी, साथ ही कार्य अवधि के दौरान प्रबंध द्वारा दिये गये आदेश/निर्देश/सूचना पत्र भी अनुबंध का अंग माने जावेगे।

(14) मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि यदि निविदा में प्राप्त हुई दरें उचित नहीं प्रतीत होती है तो वे निविदा खोलने के दिन अथवा कोई अन्य तिथि निर्धारित कर न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकारों से निगोशियेशन कर सकते है।

(15) निविदा की अवधि सामान्यतः 02 वर्ष के लिये होगी, इस अवधि में एक–एक वर्ष कर दो बार तक वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा। कार्य की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए इसे एक माह के नोटिस पर कार्यादेश समाप्त किया जा सकता है।

(16) यदि निविदाकार निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात अपने प्रस्ताव से पीछे हटता है तो EMD की राशि राजसात कर ली जावेगी।

(17) परिवहनकर्ता को प्रत्येक वाहन में तत्काल जी.पी.एस सिस्टम लगाना आवश्यक है। यदि वाहन जी.पी.एस सिस्टम परिवहनकर्ता द्वारा नहीं लगाया गया है तो दुग्ध संघ द्वारा लगा दिया जावेगा और इसकी राशि परिवहनकर्ताओं के देयक से कटौत्रा की जावेगी।

(18) परिवहनकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित मार्ग अनुसार सामग्री गतंव्य स्थानों पर पहुंचाकर संघ के निर्धारित प्रारूप मे पावती रसीद प्रस्तुत करने पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा।

(19) देयकों का भुगतान 15 दिवसों मे किया जावेगा। विवाद की स्थिति में देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

(20) वाहन 2012 के मॉडल एवं उसके बाद का अच्छी कंडीशन का होना चाहिये। दुग्ध चूर्ण परिवहन के दौरान उसको त्रिपाल से अच्छी तरह बंद करके करना होगा जिसको उससे पानी व धूल से बचाया जा सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर
तकनीकी प्रपत्र– ब

चीवजव

1. निविदाकार का नाम – – – – – – – – – – – –
(पिता के नाम सहित)

2. निविदाकार फर्म का नाम एवं पता – – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – –
– – – – – – – – – – – –

3. कार्यालय का पता – – – – – – – – – – – –

(अ) दूरभाष / मोबाईल नम्बर

(ब) E-Mail

4. निविदा के साथ जमा राशि – – – – – – – – – – – –
विवरण (D.D की छायाप्रति अपलोड करे)

5. PAN No. – – – – – – – – – – – –
(छायाप्रति अपलोड करे)

6. TIN No. यदि है तो – – – – – – – – – – – –
(छायाप्रति अपलोड करे)

7. सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन नं. ण – – – – – – – – – – – –
(छायाप्रति अपलोड करे)

8. यदि पार्टनरशिप फर्म है तो – – – – – – – – – – – –
(पार्टनर के नाम एवं पते अंकित करे)

9. वाहन का रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं प्रकार – – – – – – – – – – – –
(दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न करें)

घोषणा

एतद् द्वारा मै / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि ऊपर दिये गये विवरण मेरे / हमारे पूर्ण आज्ञानुसार सत्य है, तथा वे परिणामों के सम्पूर्ण परिज्ञान के साथ प्रस्तुत किये गये है। मैने / हमने संबंधित आमंत्रण पत्र, निबंधन एवं शर्तो तथा सूचीं को पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है, वे मुझे / हमें मान्य है।

स्थान :–

दिनांक :– —आवेदक—

निविदाकार (निविदाकार के हस्ता.)

꧁ अनुबंध ꧂

यह अनुबंध लेख लिख देने वाला मेसर्स/श्री ———————————————— (प्रोप्रा. ———————————————————— पता ———————————————————— जिन्हे इस लेख मे *''प्रथम पक्ष''* के नाम से संबोधित किया गया है, एवं *मुख्य कार्यपालन अधिकारी,* जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर जिन्हे इस लेख मे *''द्वितीय पक्ष''* के नाम से सम्बोधित किया गया है, के मध्य निम्न शर्तो के अधीन यह अनुबंध लेख निष्पादित किया जा रहा है :—

यह अनुबंध दिनांक 15/07/2019 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा, वाहन का परिसंचलन जबलपुर डेरी संयंत्र से पृथक पृथक स्थान हेतु रहेगा।

जबलपुर से दर्शाये गये स्थानों पर सुगंधित स्किम मिल्क पावडर के परिवहन करने एवं उन्हे संभालने तथा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल/मंडी दीप भोपाल से संघ के मुख्य संयंत्र जबलपुर तक पाउडर परिवहन किये जाने संबंधित अन्य कार्यों के निष्पादन के लिये अनुबंध (कान्ट्रेक्ट) को विनियंत्रित करने वाले एवं शर्तें (टर्मस एवं कंडिशन) :—

1. **उद्धेश्य** :—

परिवहन एजेंन्ट द्वारा अनुबंध के अनुसार सुगंधित दुग्ध चूर्ण निर्धारित स्थान तक परिवहन करना एवं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ भोपाल/मंडी दीप भोपाल से संघ के मुख्य संयंत्र जबलपुर तक पाउडर परिवहन किया जाना होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उनके मनोनीत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये निर्देशों का निष्पादन करना।

2. **अनुबंध के पक्षकार** :—

(अ) अनुबंध के पक्षकार परिवहन एजेंन्ट एवं जबलपुर सह. दुग्ध संघ मर्या.,जबलपुर जिसका की प्रतिनिधित्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं उसके लिये अन्य कोई भी अधिकृत एवं कार्यकारी अधिकारी होगे।

(ब) नोटिस या अन्य कोई कार्यवाही जो कि जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्या., जबलपुर को दी जानी हो वह मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा उनके लिये अन्य किसी भी अधिकृत कार्यकारी अधिकारी द्वारा दी जावेगी/ली जावेगी।

6. **कार्य का विवरण** :—

1- संघ के मांग पर जो मौखिक होगी निर्धारित स्थान हेतु वांछित परिवहन क्षमता के वाहन जो GPRS युक्त हो वाहन उपलब्ध कराना।

2- गिनकर एवं संभालकर दुग्ध पावडर/पाउडर के बैग को वाहन मे उतारना/चढाना एवं बताये गये ब्लॉक/भंडार स्तर तक परिवहन करना एवं संघ के निर्धारित प्रारूप मे उसकी पावती रसीद प्राप्त कर संघ कार्यालय मे प्रस्तुत करना। यदि परिवहन के दौरान वाहन पलटने या बीच में से पाउडर/सुगंधित दुग्ध चूर्ण खराब होता है तो उसका सम्पूर्ण उत्तर दायित्व परिवहनकर्ता का होगा और हुई हानि वसूली योग्य होगी।

3- किन्ही विशेष परिस्थितियों मे ऑगनवाडी/शालाओं से दुग्ध पावडर के बैंग प्राप्त नहीं किये जाते है तो वाहन मे सुरक्षित ढंग से चढाना एवं संघ मे वापसी जमा कर रसीद प्राप्त करना।

7. परिवहन एजेन्ट के दायित्व एवं संबंधित क्षति एवं दंड :–

1- वाहन एजेन्ट द्वारा वाहन मे लोड किये गये दुग्ध पावडर के बेग को परिवहन की दूरी के अनुसार निर्धारित समय मे पहुंचाना होगा। दूरी की गणना 30 कि.मी. प्रतिघन्टा के मान से की जावेगी।

2- वाहन मे लोड हुए पाउडर/दुग्ध पावडर के बैंग की टूट–फूट एवं क्षति के लिये वाहन ठेकेदार जिम्मेदार रहेगा। यदि किसी प्रकार की लापरवाही साबित हुई तो क्षतिपूर्ति के साथ हर्जाने की राशि से भी दंडित किया जावेगा ।

3- यदि परिवहनकर्ता ठेकेदार द्वारा दुग्ध पावडर पहुंचाने/सुपुर्द करने की रसीदे आदि प्रस्तुत नही की गई तो उस मात्रा के दुग्ध पावडर का मूल्य परिवहन देयक से काट लिया जावेगा।

4- दुग्ध पावडर/पाउडर परिवहन कर रहे वाहन खराब होने की दशा मे परिवहन एजेन्ट का दायित्व होगा कि वह समय पर दूसरी वाहन लगाकर शीध्र माल पहुंचावे। विलम्ब होने की स्थिति मे होने वाली सम्पूर्ण हानि के लिये वाहन ठेकेदार जवाबदार होगा व होने वाली हानि वाहन ठेकेदार के देयक से काटी जावेगी।

5- परिवहनकर्ता अपने वाहन मे संयंत्र से दुग्ध पावडर के उतने ही बैंग मात्रा ले जावेगें, जितनी चालान एवं गेटपास मे दर्शायी गई है। यदि अधिक मात्रा मे दूध पावडर या अन्य सामग्री वाहन के निरीक्षण मे पाये जाते है तो उसकी निर्धारित मात्रा की कीमत से 20 गुणा राशि आर्थिक दंड के रूप मे काटी जावेगी।

6- परिवहनकर्ता के वाहन मे दूध पावडर बेग सुपुर्द करने के पश्चात उनकी सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी। संबंधित ऑगनवाडी/शाला को दूध पावडर बेग कम देने की स्थिति मे उतनी मात्रा की कीमत का 10 गुणा कीमत वसूली जावेगी।

7- परिवहनकर्ता एजेन्ट या उसके कर्मचारी द्वारा वाहन मे लोड हुए दूध पावडर/पाउडर बेग की किसी प्रकार की हेरा–फेरी नही करेगे, न ही उक्त पावडर बैंग के साथ अन्य कोई पार्टी का किसी भी तरह का माल परिवहन करेगे। ऐसा करते पाये जाने पर सम्पूर्ण भाडा का भुगतान नही किया जावेगा एवं आर्थिक दण्ड जो भाड़ा की राशि के दोगुनी तक हो सकती है वसूल की जावेगी।

8- परिवहनकर्ता के कर्मचारियों द्वारा दुग्ध संघ परिसर एवं सम्बन्धित ब्लॉक/ऑगनवाडी/शाला के कर्मचारियों से अच्छे आचरण का व्यवहार करना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा।

9- प्रबंध द्वारा दूध पावडर बैंग/पाउडर परिवहन हेतु वाहन की मांग करने पर उस परिवहन क्षमता का वाहन निर्धारित समय सीमा मे लगाया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा प्रबंध द्वारा बाजार से किसी भी दर पर अन्य वाहन उपलब्ध कर माल पहुंचाया जावेगा, तथा उसके दर अन्तर की राशि परिवहनकर्ता एजेन्ट के देयक से कटोत्रा कर ली जावेगी।

10-देयकों का भुगतान 15 दिवसों मे किया जावेगा। विवाद की स्थिति में देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा।

11-परिवहन एजेन्ट के अनुबंध की सभी अथवा किसी भी नियम एवं शर्त का पालन/भंग करने पर इस अनुबंध को निरस्त करने पर कोई अन्य व्यवस्था करने के लिये संघ स्वतंत्र रहेगा। इस प्रकार के अनुबंध के निरस्त होने की स्थिति मे परिवहनकर्ता एजेन्ट द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जा सकेगी एवं इसप्रकार के अनुबंध के निरस्त होने के कारण संघ को होने वाली सभी हानियों का भुगतान एजेन्ट को संघ द्वारा मांग करने पर तुरन्त जमा करना होगा। इसके लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

12- संघ कार्यालय द्वारा निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टाफ द्वारा सहयोग देना होगा।

13-वैधानिक एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति परिवहनकर्ता द्वारा करना आवश्यक होगा।

14- यह कि अनुबंध की अवधि के दौरान अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन/संशोधन किए जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी का होगा।

15-वाहन की मांग अनुमानित है, इसकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है।

16-परिवहनकर्ता को एक कम्प्रिहेन्सिव बीमा पालिसी वाहनों हेतु लेना होगी। परिवहनकर्ता का यह दायित्व होगा कि आर.टी.ओ द्वारा निर्धारित टैक्स, फीस, ड्यूटी समय पर जमा करे तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लायसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

17-किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निराकरण मध्यस्थ (Arbitrator) के द्वारा किया जा सकेगा। अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी जबलपुर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, जबलपुर मध्यस्थ (Arbitrator) होंगे। जिनका निर्णय मान्य होगा।

18-नियमानुसार परिवहनकर्ता के देयक से आयकर एवं अधिभार का कटौत्रा गणना अनुसार किया जावेगा। आयकर अधिकारी द्वारा कटौत्रा न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही इसमें छूट मिलेगी।

19-वाहन ठेकेदार को वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा।

20-दुग्ध संघ की साधारण सदस्यता रू.100/– जमाकर लेनी होगी। परिवहनकर्ता सदस्य को मतदान इत्यादि का अधिकार नहीं होगा।

21-निविदा स्वीकृत होने पर शेष परिवहनकर्ताओं की धरोहर राशि एक माह में वापस कर दी जावेगी। धरोहर राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

22-परिवहन के दौरान सुगन्धित दुग्ध चूर्ण को अच्छी तरह से पोलीथिन, तिरपाल से ढक कर परिवहन करना होगा। यदि सुगन्धित दुग्ध चूर्ण पानी से भीगता है या अन्य कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई परिवहनकर्ता से की जावेगी।

23-सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

24-निविदा की शर्ते भी अनुबंध का भाग होगी।

25-परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारण अथवा अन्य कारण से हुए मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी की संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त कर संघ में प्रस्तुत करे तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के निर्देशानुसार दूध चूर्ण को डेयरी संयंत्र/प्राप्तकर्ता को पहुंचाएं। यह उस स्थिति पर निर्भर करेगा।

26-यह कि यह अनुबंध दौनो पक्षों के वारिसों पर भी समान रूप से लागू रहेगा।

27-समस्त विवादों के प्रसंग मे न्यायायिक क्षेत्र जबलपुर सहकारी न्यायालय रहेगा।

यह अनुबंध आज दिनांक को उभय पक्षों ने आपसी सहमति के आधार पर दुग्ध संघ कार्यालय मे हस्ताक्षर किये है, यह अनुबंध लेख दिनांक ------- से ------- तक की अवधि मे प्रभावशील रहेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी	(--------------)
जबलपुर सह.दुग्ध संघ मर्या	
जबलपुर (द्वितीय पक्ष)	(प्रथम पक्ष)

➢ गवाह ➢

1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
नाम - - - - - - - -	नाम - - - - - - - -
पिता - - - - - - - -	पिता - - - - - - - -
पता - - - - - - - -	पता - - - - - - - -
- - - - - - - -	- - - - - - - -

❖❖❖